आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवाएं लिमिटेड

सेवाओं की शृंखला

क्रम सं.	सेवा का प्रकार	कर्तव्य एवं कार्य
1	**डिबेंचर / बॉण्ड ट्रस्टी**	बॉण्ड और डिबेंचर निर्गम (एनसीडी, एफ़सीडी, पीसीडी, ओएफ़सीडी, शून्य कूपन डिबेंचर आदि) के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करना - सार्वजनिक एवं राइट्स निर्गम तथा प्राइवेट निर्गम
2	**प्रतिभूति ट्रस्टी / सेफ़ कीपर**	बहुविध ऋणदाताओं (घरेलू और विदेशी दोनों) की ओर से ट्रस्टी के रूप में कार्य करना. इस मामले में प्रभार ट्रस्टी के पक्ष में सृजित किया जाएगा जो ऋणदाता के अनुदेशों पर कार्य करता है.
3	**ट्रस्टी - प्रतिभूतिकरण**	प्रतिभूतिकरण ट्रस्टी के रूप में कार्य करना जिसमें वाणिज्यिक या उपभोक्ता ऋणों को वित्तीय लिखत के रूप में खरीदा और बेचा जाता है. सेवाओं में प्रवर्तकों, बैंकरों, रेटिंग एजेंसियों, व्यवस्थापकों, विधि सलाहकार, निवेशकों, विनियमकों से संपर्क शामिल है.
4	**शेयर गिरवी ट्रस्टी / शेयर निगरानी एजेंट**	ऋणदाताओं / निवेशकों के अनुदेशों पर शेयरों / गिरवी या उधारकर्ता द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों की निगरानी
5	**निलंब (एस्क्रो) एजेंट**	नकदी प्रवाह की निगरानी और पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसके उपयोग को सुनिश्चित करना. वॉटरफाल प्रक्रिया तैयार की जाती है और निलंब एजेंट प्रक्रिया के अनुसार अंतरप्रवाह के उपयोग को सुनिश्चित करता है.
6	**ट्रस्टी - उद्यम (वेंचर) पूंजी निधि / म्यूचुअल फंड**	निवेश के लिए लागू मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निवेशकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना

हमारी वेबसाइट : www.idbitrustee.co.in देखें.

7	**सुविधा एजेंट**	ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं एवं अन्य पक्षों के बीच समन्वय करना जोकि आपसी सहमति से लेन-देन की सुविधा के लिए शामिल हों.
8	**एसपीवी / ट्रस्ट का प्रबंधन**	सांविधिक, विनियामक एवं अन्य मान्य प्राधिकरण से संबंधित सभी अनुपालनों को सुनिश्चित करना
9	**विशेष कॉरपोरेट सेवाएं**	अर्थात - नामिती निदेशक के रूप में कार्य करना

हमारी टीम

आईटीएसएल में पशेवरों का एक विशिष्ट समूह जिसमें बैंकिंग विशेषज्ञों, बीमा प्रैक्टिशनरों, अधिवक्ताओं, कारोबार प्रशासकों, सनदी लेखाकारों, कंपनी सचिवों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों शामिल हैं, जो साथ मिलकर अतुलनीय ट्रस्टीशिप सेवाएँ प्रदान करता है. हमारी विशिष्ट टीम निम्न के लिए चिरस्थाई संबंध स्थापित करने हेतु हमेशा प्रयासरत रहती है :

- विशेषज्ञता जो हमारे ग्राहकों को लाभ दे.
- विशेषज्ञता जो हमारे ग्राहकों को उनके लक्ष्यों को बेहतर और शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद करे.
- विशेषज्ञता जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने में हमारी मदद करे.

श्री एस के मित्तर
मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं सीईओ
फोन : +91 22 4080 7010 / 6631 4499
ईमेल : s.mitter@idbitrustee.co.in

श्री यशपाल गुप्ता
डिप्टी सीईओ
फोन : +91 22 4080 7060
ईमेल : yaspal.gupta@idbitrustee.co.in

हमारी वेबसाइट : www.idbitrustee.co.in देखें.

सुश्री बृंदा वी
सी. वाइस प्रेसिडेंट (परि.)
फोन: +912240807004
brindha@idbitrustee.co.in

श्री एस गुणवरे
सी. वाइस प्रेसिडेंट (विधि)
फोन: +912240807003
sgunware@idbitrustee.co.in

श्री अजित गुरुजी
वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग)
फोन: +912240807001
ajit.guruji@idbitrustee.co.in

श्री दिलीप डब्ल्यू पाठक
इंचार्ज ऑफिसर (सतारा)
फोन: +912240807004
Dilip.pathak@idbitrustee.co.in

सुश्री सरिता अय्यर
असि. वाइस प्रेसिडेंट (मा. एवं परि.)
फोन: +912240807003
sarita.iyer@idbitrustee.co.in

श्री विट्ठल नवनधर
असि. वाइस प्रेसिडेंट (मा. एवं परि.)
फोन: +912240807001
vitthal.n@idbitrustee.co.in

मुंबई :
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल,
17, आर. कमानी मार्ग,
बलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400001
फोन : +912240807000

सतारा :
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
विश्वास्था भवन,
218 प्रतापगंज पेठ,
सतारा - 415002
फोन : +912162280075

हमारी वेबसाइट : www.idbitrustee.co.in देखें.

प्रतिभूति ट्रस्टी के रूप में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड की भूमिका

परंपरागत रूप से कंपनियां, या तो ऋणदाता के पक्ष में वैयक्तिक रूप से अथवा अन्य ऋणदाताओं की ओर से प्रभार धारण करनेवाले ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूतियों का सृजन करती रही हैं. तथापि, हाल ही में कंपनियों ने प्रतिभूति ट्रस्टी के रूप में स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त करना शुरू किया है, जो न केवल ऋणदाता की ओर से हक विलेख धारण करते हैं बल्कि विभिन्न ऋणदाताओं के लाभ के लिए प्रतिभूति का सृजन भी प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में ही करती हैं. इससे कंपनी और बहु ऋणदाताओं, दोनों को परिचालनगत सुविधा होती है. प्रतिभूति ट्रस्टी के रूप में स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करने के अनेक लाभ होते हैं जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है :

- प्रवर्तक शेयरधारिता की गिरवी सहित सभी ऋणदाताओं की ओर से प्रतिभूति धारण करने के एकल बिन्दु उत्तरदायित्व वाली स्वतंत्र भूमिका.
- सभी ऋणदाताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेजों का स्वतंत्र पुनरीक्षण.
- प्रभारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आरओसी के पास विभिन्न फॉर्मों की समयबद्ध फाइलिंग सुनिश्चित करना. सीईआरएसएआई फाइलिंग सुनिश्चित करना.
- लंबी अवधि के लिए हक विलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना जिससे हक विलेख का एक ऋणदाता से दूसरे ऋणदाता को निरंतर अंतरण से बचा जा सके.
- यदि मौजूदा ऋणदाता अपने हिस्से को वापस लेना चाहता है, तो यह कहीं अधिक सहज और किफायती होगा, क्योंकि ऋणदाता(ओं) में बदलाव होने के बावजूद अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर प्रभार प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में ही बना रहेगा. स्टाम्प ड्यूटी आशय वाले नए प्रभार के सृजन की आवश्यकता को दूर करते हुए प्रत्येक ऋणदाता के पास ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने ऋण को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में वापस लेने की लचीली व्यवस्था होगी. किसी स्थानापन्न ऋणदाता को परिग्रहण विलेख (करार के रूप में हस्ताक्षरित) के निष्पादन के माध्यम से शामिल किया जा सकता है तथा प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में सृजित प्रभार को संशोधित किया जाएगा ताकि नए ऋणदाता के नाम को शामिल किया जा सके.
- यदि कुछ ऋणदाता कंपनी के कार्य-निष्पादन में आए सुधार के बाद के चरण में अपनी वित्तीय सहायता के एक हिस्से को प्रतिभूतित करना चाहते हैं तो स्वतंत्र ट्रस्टी के पक्ष में प्रभार सृजन के मामले में यह कहीं अधिक सहज होगा क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ कर्ज़ के समनुदेशन पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है.
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंकों को अपनी सहायक संस्थाओं को छोड़कर, किसी भी कंपनी में 30% से अधिक इक्विटी शेयर रखने की अनुमति नहीं है. जहां कहीं भी प्रवर्तकों की गिरवी शेयरधारिता प्राथमिक/ संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्धारित हैं, वहाँ कंपनियां, बहु ऋणदाताओं की ओर से गिरवी शेयरों को धारण करने के लिए प्रतिभूति ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही आईटीएसएल के पक्ष में प्रतिभूति सृजित कर रही हैं.

- स्वतंत्र प्रतिभूति ट्रस्टी अंतर-लेनदार मामलों का बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से मतैक्यता द्वारा समाधान करने के लिए एक अंतर-लेनदार के रूप में भी कार्य कर सकता है.
- ऋणदाताओं द्वारा प्रतिभूति ट्रस्टी को कंपनी के कुछ निश्चित पूर्व-निर्धारित अनुमोदन देने के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है.
- कुछ विशेष जटिल मामलों पर निर्णय ऋणदाताओं की मतैक्यता के माध्यम से लिया जा सकता है तथा प्रतिभूति ट्रस्टी को ऐसी बैठकों के आयोजन तथा समन्वय की भूमिका सौंपी जा सकती है.
- स्वतंत्र प्रतिभूति ट्रस्टी को आवधिक रूप से ऋणदाताओं की बैठक आयोजित करने की भूमिका दी जा सकती है. प्रतिभूति ट्रस्टी मंजूरी के समय निर्धारित विभिन्न शर्तों के अनुपालन को रिपोर्ट करने के लिए निगरानी एजेंट (एमए) के रूप में भी कार्य कर सकता है.
- अधिकांश ऋणदाताओं के अनुदेशों के आधार पर प्रतिभूति लागू करने को सरल बनया जा सकता है.
- प्रतिभूति ट्रस्टी को विभिन्न पूर्व-शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रभारों के त्याग के लिए अनुमोदन तुष्टि करने की भूमिका दी जा सकती है, जिससे प्रतिभूति के अविलंब सृजन में सुविधा होगी.
- प्रतिभूति ट्रस्टी को बीमा अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा
    - कंपनी के परिसंपत्तियों की बीमा पॉलिसी प्रतिभूति ट्रस्टी (ऋणदाताओं के बदले) के नाम पर प्राप्त की जा सकती है.
    - आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन परिसंपत्ति की क्षति के मामले में प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा बीमा दावा करने हेतु अनुमोदन भी दिया जा सकता है.
    - प्रभार धारकों के बीच बीमा दावा की यथानुपात शेयरिंग.